



लीगल विंग

वार्षिक रिपोर्ट - 2020

50, Arpit Nagar, Gandhi Path, Vaishali Nagar, Jaipur (Raj.) - 302021

HELP INDIA FOUNDATION को कंपनी 8 अधिनियम 2013 की धारा 8 के प्रावधान के तहत शामिल किया गया है। भारत के लोगों को मदद प्रदान करने के लिए भारत फाउंडेशन की मदद का बहुत उद्देश्य है। हेल्प इंडिया फाउंडेशन भारत के कानून के अनुसार फंडिंग प्रणाली की पारदर्शिता के साथ काम कर रहा है। हेल्प इंडिया फाउंडेशन ने HELP AND FUND MANGEMENT को सुरक्षित करने के लिए सभी आवश्यक कानूनी प्रमाणपत्र पूरे कर लिए हैं।

B2ME ECOM PRIVATE LIMITED कंपनी के अधिनियम 2013 के तहत पंजीकृत कंपनी है। कंपनी विभिन्न उपभोक्ता उत्पादों और सेवाओं जैसे प्रिवेंटिव हेल्थ प्रोडक्ट्स, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स, स्किन केयर, हेल्थ केयर, ओटीसी और फैशन के डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में काम कर रही है। कंपनी ने प्रचलित कानून के अनुसार और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के दिशानिर्देशों के अनुसार आवश्यक सभी कानूनी औपचारिकताओं को पूरा किया है।

हमारी प्रणाली की सुंदरता कानून द्वारा आवश्यक नियमों और शर्तों का पालन करना है। हमारे पास शिकायतों को दूर करने के लिए एक प्रभावी उपभोक्ता निवारण तंत्र है। इस संबंध में हम आप सभी के साथ साझा करना चाहते हैं कि हमारे संगठन ने हमारे निवारण तंत्र के माध्यम से लगभग 80 शिकायतों को सफलतापूर्वक हल किया है और आज तक कोई शिकायत नहीं है।

हमने केवाईसी अपडेट को अनिवार्य करके अपने सिस्टम को मजबूत किया है। हमारे पास प्रभावी खरीद नीति है और सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार अपने प्रत्यक्ष विक्रेताओं को 30 दिनों की कूलिंग ऑफ अवधि भी प्रदान करते हैं। कंपनी डायरेक्ट सेलर्स को HELP INDIA FOUNDATION के सपोर्ट सिस्टम से मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है।

हम अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भारत सरकार और राजस्थान सरकार के हमारे प्रमाणपत्र साझा कर रहे हैं। लोगों को किसी भी गलत धारणा से बचने और अग्रिम कानूनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए कंपनियों के पास प्लेटफॉर्म पर पारदर्शी भुगतान प्रणाली है। हमारे संगठन का मजबूत बिंदु है की एक निश्चित समय के भीतर आपकी शिकायतों और प्रश्नों को हल करने के लिए वेबसाइट पर एक ऑनलाइन समर्पित कानूनी प्रणाली प्रदान की गयी है।

श्री आनंद शर्मा

प्रभारी कानूनी विंग